संख्या- 28/2016/1083/38-4-16-36(विविध)/13टी.सी.-।

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक-12 अगस्त, 2016

विषयः-लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के आवासों में सोलर पावर पैक एलईडी लाइट्स तथा डी.सी. फैन की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु संस्था नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-829/वि0का0/लो0ग्रा0आ0यो0/2016-17 दिनांक 28.07.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2016-17 में निर्मित लोहिया ग्रामीण आवासों में सोलर पावर पैक की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में निर्मित लोहिया ग्रामीण आवासों में सोलर पावर पैक एलईडी लाइट्स तथा डी.सी. फैन की आपूर्ति एवं स्थापना/क्रियान्वयन हेतु ''नेडा'' (उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण) को निम्न शर्तो के अधीन कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक करने का कष्ट करें:-

(1)-इस सम्बन्ध में नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुये लगाई जाने वाली सामग्री की मात्रा तथा उसकी स्थापना का उल्लेख करने के साथ-साथ पूर्ण पारदर्शिता का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एवं वृहत् प्रचार-प्रसार करते हुये टेण्टर आमंत्रित किये जायें।

(2)-टेण्डरों का नियमानुसार परीक्षणोपरान्त अन्तिम रूप से जिस फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त हो, उस दर पर उस फर्म का चयन किया जाय, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एवं सामग्री की मात्रा के अनुसार न्यूनतम दरें प्राप्त की जा सकें।

(3)-यदि **L-1** फर्म पूरे प्रदेश में सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना कर पाने में सक्षम न हो, तो जितनी आपूर्ति वह कर सकती है, उससे करवाने के पश्चात शेष बची सामग्री की आपूर्ति व स्थापना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

L-2 फर्म से **L-1** की दरों पर कराये जायें। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में दो फर्मो का चयन किया जाना उचित होगा। इस आशय का स्पष्ट प्राविधान भी ''टेण्डर डाक्यूमेंट'' में पूर्व से ही कर दिया जाय।

(4)-उपरोक्तानुसार चयनित की जाने वाली संस्था की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करा ली जाये।

भवदीय,
दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 28(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा एवं समग्र ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवींकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।